महिलाओं की सुरक्षा के सिलसिले में प्रस्ताव

अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खात मन्नबिय्यीन व मन तबिअहुम बिएहसान इला हि यौमिद्दीन, अम्मा बाअद।

इस समय पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा का मसला चर्चा का विषय है। महिलाओं के अधीकारों के सिलसिले में पश्चिमी दुनिया की धारणा यह है कि पति व पत्नी एक दूसरे के पार्टनर हैं। उनमें किसी की हैसियत परिवार के मुखिया और मातहत की नहीं है, इस लिए पश्चिम वालों का विचार यह है कि तलाक़ के हक़ के मामले में मर्द व औरत को समान दर्जा हासिल होना चाहिए और कोई भी पक्ष अदालत के सम्पर्क के बिना अलहदगी हासिल नहीं कर सकता।

इसी प्रकार बहु विवाह की अनुमति न औरत के लिए होनी चाहिए और न मर्द के लिए, मीरास में दोनों का हक़ बराबर होना चाहिए, विलायत का हक़ बाप और मां दोनों को हासिल होना चाहिए। 18 साल से पहले न लड़कियों को निकाह की इजाज़त होनी चाहिए और न लड़कों को, ज़िना के नतीजे में औलाद का नसब ज़ानी से साबित होना चाहिए। लड़का हो या लड़की 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद वे अपने शरीर के पूरी तरह मालिक हैं और उनके हक़ में जिन्सी संबंधों व वासना पूर्ति पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए, सम्पत्ति पर संयुक्त मालिकाना हक़ होना चाहिए और तलाक़ के बाद सम्पत्ति की दोनों के बीच बराबर बराबर तक़सीम होनी चाहिए। मर्द स्वयं अपनी पत्नी से यदि उसकी रज़ामन्दी के बिना जिन्सी क्रिया (मुबाशरत) करे तो उसे भी अपराध और ज़िना माना जाना चाहिए। औरतों को गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करने और अपना गर्भपात कराने की अनुमति होनी चाहिए।

ये वे प्रस्ताव हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला कमेटी के 57वें अधिवेशन आयोजित 14-15 मार्च 2013 ई0 में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं, जिसका शीषर्क है ''औरतों और नवजवान लड़कियों के विरुद्ध हिंसा का रास्ता अपनाए जाने वाले तमाम तौर तरीक़ों की रोक और उनका ख़ात्मा''। और पश्चिमी शक्तियों की ओर से कोशिश की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के के तमाम सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर करें और जो देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे, यदि उन देशों में उसके विरुद्ध क़ानून बाक़ी रखा गया तो सुंयक्त राष्ट्र संघ को उसमें हस्तक्षेप करने और उन देशों को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के कटघरे में खड़ा करने का हक़ हासिल होगा।

यद्यपि इन क़ानूनों की चोट तमाम ही आसमानी और ग़ैर आसमानी किताबों पर पड़ती है लेकिन स्थिति यह है कि मुसलमानों के अलावा तमाम धार्मिक गिरोहों ने इस बात को व्यवहार में स्वीकार कर लिया है कि धर्म से उनका संबंध मात्र रस्मी होगा, जीवन के दूसरे मसाइल में धर्म का कोई दखल नहीं होगा। यह केवल मुस्लिम समुदाय है जो आज भी धर्म को अपने पूरे जीवन में शासक तसलीम करता है। इस लिए टकराव पृत्यक्ष में मुसलमानों से होगा।

इस्लामी जगत और मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य है कि वह हिकमत और दृढ साहस व हैसियत के साथ इस परिस्थिति का मुक़ाबला करें। ऐसी अनैतिक और अश्लील मुहिम से प्रभावित न हों।

एक अहम मसला पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ ज़ुल्म व अत्याचार और हिंसा का बढता हुआ रुझान है। स्वयं हमारे देश में महिलाओं पर हिंसा और जिन्सी आतंक की जो घअनाएं घटित हो रही हैं वे अत्यन्त दुखद बल्कि पूरी क़ौम के लिए शर्म की बात है। हर ओर से इसकी रोक थाम के लिए कडे और कठोर क़ानून बनाए जाने की मांग हो रही है और हुकूमत इस पर सोच विचार कर रही है।

इस्लाम की धारणा यह है कि स्वयं प्रकृति ने मर्दों और महिलाओं के बीच योग्यताओं, क्षमताओं और ताक़त का फ़र्क़ रखा है। इस लिए परिवारिक व्यवस्था की मज़बूती और समाज को पवित्र रखने के लिए समानता की नहीं, न्याय की ज़रूरत है। मर्दों पर उनकी योग्यताओं के अनुसार ज़िम्मेदारियां लागू की जाएं और महिलाओं पर उनकी योग्यता को देखते हुए, फिर जिस पर जो ज़िम्मेदारियां हों और उनकी जो जो योग्यताएं व क्षमताएं हों उसी हिसाब से उनके अधिकारों व कर्तव्यों को निधारित किया जाए। इसी लिए इस्लाम ने तमाम वित्तीय ज़िम्मेदारयिां, परिवार की किफ़ालत और उसकी सुरक्षा मर्दों के ज़िम्मे रखी हैं औरतों को इससे अलग रखा गया है। लेकिन परिवार व्यवस्था में दृढता और प्रबन्ध को बरक़रार रखने के लिए मर्द को परिवार का मुखिया बनाया गया है और उसकी हैसियत ''क़व्वाम व निगरां'' की मुकर्रर की गयी है। घरेलू ज़िन्दगी से संबंधित तमाम आदेशों की बुनियाद इसी उसूल पर है।

इस प्रकार इस्लाम की नज़र में महिलाओं की सुरक्षा को बडा महत्व हासिल है और मर्दों पर उसकी ज़िम्मेदारी डाली गयी है। लेकिन वह इस बात पर भी ध्यान देता है कि उन कारणों व प्रेरकों को समाप्त या कम से कम कर दिया जाए जो इन्सान को अपराध पर उकसाते हैं। ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें लोगों के अन्दर अपराध की तहरीक ही पैदा न हो। फिर इसी के साथ साथ अपराधों पर कठोर सजाएं मुक़र्रर की जाएं ताकि पीडित के साथ भी न्याय हो और अपराधी के साथ भी अन्याय न हो। अपराध के प्रेरकों को रोके बिना केवल कठोर सज़ाएं मुक़र्रर कर दी जाएं, तो इससे अपराध का निवारण नहीं हो सकता और यह बात न्याय के तक़ाज़े के भी ख़िलाफ़ है।

इस पृष्ठ भूमि में इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया के बाइसवां फ़िक्ही सेमिनार आयोजित 26-28 रबीउस्सानी 1434 हि0 - 9-11 मार्च 2013 ई0 जामिया मिल्लिया इस्लामिया अरबिया, जामा मस्जिद अमरोहा में इस विषय से संबंधित निम्न प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं।

1- इन्सानी आबादी पश्चिमी और पश्चिम जैसे देशों सहित, का एक बडा हिस्सा किसी न किसी धर्म से जुडा है और समाजी व दाम्पत्य जीवन में औरतों और मर्दों के बीच पूर्ण समानता, और लडकियों व लडकों को बिना किसी क़ानूनी रिश्ते के प्राकृतिक और अ प्राकृतिक तरीक़े पर जिन्सी इच्छा व आनन्द हासिल करने की अनुमति देना तमाम धर्मों की सिद्ध शिक्षाओं के विरुद्ध है। इस लिए जब ये देश लोक तंत्र और जनता के सम्मान पर आधारित हुकूमत की व्यवस्था का दावा करते हैं तो उनका कर्तव्य है कि धर्म विरोधी और आचरण

की धज्जियां उड़ाने वाले क़ानूनों से स्वयं भी अपना दामन बचाएं और दूसरों पर भी उन्हें थोपने की कोशिश न करें।

2- यह भी एक हक़ीक़त है कि समानता की यह धारणा अपनी व्यापकता के साथ प्रकृति के क़ानून से भी टकराती है और जब भी इन्सान प्रकृति के क़ानून से टकराता है तो अल्लाह के अज़ाब (यातना) का शिकार होता है जिसका एक उदाहरण एड्ज़ जैसी जान लेने वाली और ख़तरनाक बीमारी है। इस लिए पूरी दुनिया का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के क़ानून से टकराने का विचार दिल से निकाल दे और ईश्वरीय क़ानूनों की श्रेष्ठता को माने, क्योंकि यह स्वयं प्रकृति के रचियता की उतारी हुई जीवन व्यवस्था है जिससे बढकर और कोई ज़ात मानवता की ज़रूरत और हानि से आगाह व बा ख़बर नहीं हो सकती।

3- इस्लामी जगत से अपील की जाती है कि वह पश्चिम की इस साज़िश को समझने की कोशिश करें जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा नहीं बल्कि परिवार से संबंधित इस्लाम की बुनियादी धारणा को विनष्ट कर देना है। इस लिए वह पूरी ताक़त के साथ इस अधर्मी, मानवता विरोधी आचरण की दुश्मन मुहिम का विरोध करें और कभी भी किसी ऐसे मसविदे पर हस्ताक्षर न करें।

4- हिन्दुस्तान की हुकूमत से अपील की जाती है कि इस देश में बसने वाली तमाम ही धार्मिक यूनिटों के निकट इस प्रकार के क़ानून अस्वीकार्य हैं और देश के संविधान में तमाम नागरिकों को जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है सरासर उसके विरुद्ध है इस लिए हिन्दुस्तान को इन प्रस्तावों पर कदापि हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए।

5- हिन्दुस्तान की हुकूमत से अपील की जाती है कि वह जिन्सी अपराध को रोकने के लिए ज़िना (व्यभिचार) पर कड़ी सज़ा को काफ़ी न समझे बल्कि उन कारणों और प्रेरकों को रोके जो इस गुनाह पर उकसाते हैं जैसे शराब के कारखाने बन्द हों, पूर्ण रूप से नशे पर पाबन्दी लगायी जाए, जो भारतीय संविधान के मार्ग दर्शक उसूलों का हिस्सा है।

अलग अलग शिक्षा व्यसस्था की स्थापना की जाए। अजनबी मर्द व औरत के मेल जोल को यथा साम्थर्य रोका जाए। लड़कों और लड़कियों को ढीले ढ़ाले और सतर को छुपाने वाले लिबास को पहनने का पाबन्द किया जाए, अशलील फ़िल्मों और मीडिया के आचरण को ख़राब करने वाले अनैतिक प्रोग्रामों को रोका जाए, महिलाओं के लिए नाइट डयूटी को प्रतिबंधित किया जाए, निकाह के लिए लड़कों के हक़ में 21 साल की और लड़कियों के हक़ में 18 साल की शर्त ख़त्म कर दी जाए। और इस प्रकार की सावधानी बरतने वाली तदबीरों के साथ फिर ज़िना पर चाहे वह आपसी रज़ामन्दी से हो या बल पूर्वक सख़्त सज़ा मुक़र्रर की जाए।

6- यह भी एक हक़ीक़त है कि केवल क़ानून द्वारा किसी बुराई को रोका नहीं जा सकता, जब तक कि दिल व दिमाग़ में परिवर्तन न लाया जाए। इस लिए इस समय ज़िना, क़त्ल डकैती और भ्रष्टाचार की बढौतरी हुई है। घटनाओं और इन घटनाओं में शिक्षित लोगों के समान रूप से लिप्त होने की बात से यह अवश्य साबित हो गया कि हुकूमत नैतिक शिक्षा को शैक्षिक संस्थानों के पाठय में अनिवार्य अंश की हैसियत से शामिल करे,

संचार माध्यमों द्वारा आचरण पर आधारित प्रशिक्षित प्रोग्राम संचारित किए जाएं और तिजारती विज्ञापनों को नैतिक मूल्यों का पाबन्द बनाया जाए।

7- मुसलमान एक दाअी गिरोह हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे केवल ज़बान ही से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार द्वारा भी इस्लाम की दावत पेश करें। महिलाओं से संबंधित अधिकारों को अदा करने का आयोजन करें, उन पर ज़ुल्म व अत्याचार करने से बचें, औरतों को शरअी उसूलों के अनुसार मीरास में उनका हक़ दिया करें, तलाक़ के बेजा इस्तेमाल से बचें, निकाह को उपासना की बजाए तिजारत न बना लें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो वास्तव में उस बेहतर व्यवहार का बेहतरीन नमूना हो जिसका इस्लाम में हुक्म दिया गया है। और जिसमें महिलाओं की इज़्ज़त व सम्मान का पूरा पूरा लिहाज़ रखा जाता हो।

☆☆☆

नोटः 22 वां फ़िक़्ही सेमिनार (अमरोहा, यू0पी) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1434 हि0 9-11 मार्च 2013 ई0